राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–65 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री चित्तरंजन थर्मा, ग्रा.+डाकघर–पुरा, था.–टिकारी, जिला–गया–824236
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
04.08.2023	श्री चित्तरंजन थर्मा, ग्रा.+डाकघर–पुरा, था.–टिकारी, जिला–गया–824236 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–03.08.2023 इस कार्यालय में दिनांक–04.08.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 440937 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री चित्तरंजन थर्मा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–26.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री चित्तरंजन थर्मा उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–26.06.2023 की प्रति भी संलग्न है। लोक सूचना पदाधिकारी को अपीलार्थी द्वारा भेजे एवं प्रपत्र–'क' एवं अन्य संलग्न कागजात को भेजते हुए लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय को यह निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–26.06.2023 पर की गयी कार्रवाई संबंधी लिखित प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि को उपस्थित रहें। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–24.08.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। ह0/- 7/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-..1262/रा0स0(III) दिनांक-.07-8-2023.

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री चित्तरंजन थर्मा, ग्रा.+डाकघर-पुरा, था.-टिकारी, जिला-गया-824236 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 7/8/2023
विशेष कार्य पदाधिकारी

अपील वाद संख्या–65 (लो०सू०अ०)/2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.08.2023	दिनांक-04.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त है। अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दिये के कारण दायर किया था परंतु प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सूचना अपने पत्रांक-117 दिनांक-03.07.2023 के माध्यम से संसूचित कर दिया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस अपील वाद में किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 24/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-1332/रा०स०(प्र) दिनांक-25-08-2023

प्रतिलिपिः-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री चित्तरंजन थमो, ग्रा.+डाकघर-पुरा, था.-टिकारी, जिला-गया-824236 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी